दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 ▸ अंक : 1 ▸ गाजियाबाद, जनवरी, 2020 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

फिर मुश्किल में फंसीं सपना चौधरी, मामले में पुलिस...P-7

नागरिकता कानून के बाद अब रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहर करने की तैयारी में केंद्र सरकार

❑ लोगों को बायोमैट्रिक कार्ड दिए जाएंगे, ताकि रोहिंग्या नागरिकता कानून का फायदा न ले सकें ❑ जम्मू और सांबा जिले में करीब 14000 से ज्यादा विदेशी, इनमें रोहिंग्याओं-बांग्लादेशी सबसे ज्यादा

❑ केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने साफ किया कि जिस दिन संसद में नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) पास हुआ था उसी दिन ये जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया था।

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने साफ किया कि जिस दिन संसद में सीएए कानून पास हुआ था उसी दिन ये कानून जम्मू–कश्मीर में भी लागू हो गया था. उन्होंने कहा कि अब सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के संबंध में होगा, ताकि वे नागरिकता कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित न कर सकें।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जांच कराने की मांग की कि कैसे रोहिंग्या शरणार्थी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से होते हुए जम्मू के उत्तरी इलाकों में आकर बस गए. उन्होंने कहा कि जिस दिन संसद में सीएए को मंजूरी मिली थी, उसी दिन जम्मू–कश्मीर में भी ये कानून लागू हो गया था. इस कानून को लेकर कोई अगर–मगर जैसी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन को लेकर रहेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर के अधिकारियों ने माना कि जम्मू के कई इलाकों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं. रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन की योजना पर बात करते हुए जीतेंद्र सिंह ने कहा, इस बारे में केंद्र में मामला विचाराधीन है.

जम्मू में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की सूची तैयार की जा रही है. अगर जरूरत हुई तो बॉयोमेट्रिक पहचान पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि सीएए रोहिंग्या को किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्रदान नहीं करता।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी उन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों (जिन्हें नए कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी) से संबंधित नहीं हैं. और न ही उन 3 (पड़ोसी) देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में से किसी से संबंधित हैं. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से यहां आए हैं इसलिए उन्हें वापस जाना होगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू और सांबा जिलों में 13700 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी नागरिक बसे हुए हैं. साल 2008 से 2016 के बीच में उनकी आबादी 6000 से अधिक हो गई है।

11 दिसंबर को संसद में पारित किए गए नागरिता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है. केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई अन्य सामाजिक संगठन रोहिंग्याओं को देश से बाहर करने की मांग कर रहे हैं. सिंह ने उन परिस्थितियों की जांच करने की मांग की, जिसके कारण रोहिंग्याओं को बंगाल से कई राज्यों को पारकर जम्मू के उत्तरी इलाकों में आकर बसने को मजबूर होना पड़ा. सिंह ने कहा इतनी बड़ी तादाद में रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू–कश्मीर में बसाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद दिखाई दे रहा है।

क्या पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 2000 रुपये आपके खाते में नहीं पहुंचे? यहां करें शिकायत

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (गर्वमेन्ट ऑफ इंडिया) ने नए साल की शुरुआत में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का दूसरा चरण शुरू कर दिया है. इस स्कीम में देश के 6 करोड़ किसानों के खाते में सरकार ने 2000 रुपये भेजे हैं।

शेष पृष्ठ सात पर

पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी रांची की निचली अदालत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने केस दायर किया है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता डोरंडा निवासी हरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दायर केस पर गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख मुकर्रर की है. अगली सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता का बयान शपथ–पत्र पर दर्ज किया जाएगा.

क्या हैं शिकायतकर्ता के आरोप?

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशों से कालाधन लाएंगे. सभी भारतीयों के खाते में 15–15 लाख रुपये डालेंगे. साथ ही हर साल तीन लाख सरकारी नौकरियां देंगे. यह बातें भाजपा के घोषणा पत्र में भी थीं. नरेंद्र मोदी ने यह वादा सात नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में किया था. ऐसा कहकर नरेंद्र मोदी ने लोगों को ठगा और बहुमत पाया. यही जुमला

❑ हाईकोर्ट के वकील ने निचली अदालत में दायर किया मुकदमा

❑ चुनावी वादों से मुकरने का आरोप, 1 फरवरी को अगली सुनवाई

भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपनाया था. अमित शाह ने एक इलेक्ट्रॉनिक चौनल को पांच फरवरी 2015 को कालाधन आने पर भरतीयों को 15–15 लाख रुपए मिलने की बात को लोकोक्ति कहा और इसे चुनावी उद्देश्य बताया था.

अठावले पर क्या है आरोप

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के सांगली में भरोसा दिलाया था कि कालाधन आने पर 15–15 लाख प्रत्येक भारतीय को मिलेंगे. शिकायतकर्ता ने 21 दिसंबर 2019 को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा एक न्यूज चौनल को दिए साक्षात्कार का भी हवाला दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भी कहा कि वह अपने घोषणा पत्र पर अडिग है, लेकिन अब भाजपा कालाधन आने पर भारतीयों को 15–15 लाख रुपये मिलने की बात से पीछे खिसक रही है. यह चुनावी वादा था, जिसे पूरा नहीं किया गया. 15–15 लाख रुपये मिलने की बात कहकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया.

किस धारा के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा?

शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के माध्यम से भी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से पूछा था कि लोगों के पास 15–15 लाख रुपये कब आएंगे? शिकायतकर्ता के अनुसार इसका जवाब मिला कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है. उनके किए गए वादों से मैं और हर भारतीय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है. वे लोग अपने किए वादे से मुकर गए हैं. हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING				DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/10/19 TO 31/03/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		3/1/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8278.94	9676.05	10144.24	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8451.95	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	9106.83	10625.44	11158.67	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9231.95	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	10201.09	11795.93	12173.09	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10128.95	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11160.95	11266.23	*

ईएसआईसी विभाग डिजिटल इण्डिया के उलट मैन्युअल इण्डिया की तरफ बढ़ रहा है

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

गाजियाबाद। इएसआई एक सोशल सिक्योरिटी सर्विस है और इसके अन्तर्गत श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों को एवं उनके परिवार को चिकित्सा व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ देना विभाग की जिम्मेवारी है। लेकिन अब विभाग अपनी इस जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल इण्डिया की बात कर रहे हैं,वहीं यह विभाग डिजिटल इण्डिया के उलट मैन्युअल इण्डिया की तरफ बढ़ रहा है।

नरेन्द्र मोदी चाहते हैं की उद्योगों को डिजिटल इण्डिया का लाभ मिले और उनको विभाग के चक्कर न काटने पड़ें। वे चाहते हैं की सभी कार्य ऑनलाइन हों और उद्योगपतियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले। लेकिन इसके उलट इ एस आई विभाग ऐसे ऐसे नियम ला रहा हैं की कैसे मोदी जी को फेल किया जा सकें तथा उनके सपनों पर पानी फेरा जा सके।

इएसआई विभाग ने नियुक्ति के दस दिन के बाद कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। हालाँकि यह कोई नया कानून नहीं है। इ एस आई एक्ट में पहले से यह प्रावधान था और अभी तक ऑनलाइन इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन पहले जब यह नियम लागू था। तब भी यदि किसी कर्मचारी का किसी कारण से रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो पाता था तो उससे "no accident till date" लिखवा कर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता था और उसका अंशदान जमा कर लिया जाता था। लेकिन अब काफी मशक्कत के बाद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए संशोधित नियम का पत्र जारी तो कर दिया है लेकिन उसमे शर्त लगा दी है कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसे पुनः मैन्युअल फॉर्म –1 भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त पहले से फॉर्म –1 की सारी डिटेल्स भरी जा चुकी होती हैं।

फिर उस कम्पनी में एक इंस्पेक्टर जायेगा इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर यदि वह सन्तुष्ट होगा तभी उस कर्मचारी कर रजिस्ट्रेशन करेगा। और वह सन्तुष्ट कैसे होगा यह सभी जानते हैं। तो विभाग ने अपनी संतुष्टि के लिए पहले इंस्पेक्टर को सन्तुष्ट करने की शर्त लगा दी है। और इस शर्त से विभाग में भ्रष्टाचार को खुले आम प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि नियोक्ता यदि देरी से रिटर्न भरता है तो वह ब्याज और जुर्माना देने को तैयार है। लेकिन इस तुगलकी फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। अतः आपसे पुनः निवेदन है की हमारे पुराने पत्र दिनाँक –(सलग्न) का संज्ञान लेते हुए उचित एवं व्यावहारिक निर्णय लेकर नया आदेश अविलम्ब जारी करवाने की कृपा करें। ताकि इस समस्या का अविलम्ब समाधान हो सके। हम यह नहीं चाहते हैं की कोई कानूनी कार्यवाही न की जाये लेकिन जो भी की जाये वह व्यावहारिक हो ताकि किसी को कोई समस्या न हो। जबकि सभी से आपको ब्याज और पेनल्टी वसूलने का पूरा अधिकार है और लोग देने को भी तैयार हैं। इस विषय में एक पत्र लॉ ऑफ लेबर एडवॉइजर्स एसोसिएशन उ प्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखा है और अपील की है की इस तुगलकी कानून से नियोक्ताओं और श्रमिकों को मुक्ति दिलवाई जाये।

प्रकाशन उद्योग पंजीकरण बिल मसौदे पर सुझाव देने की अवधि बढ़ी

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय ने एक विधेयक के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।

यह विधेयक ब्रिटिश काल के कानून की जगह लेगा, जिसके तहत समाचार वेबसाइटों के लिए भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा। प्रस्तावित प्रेस एवं पत्र–पत्रिका पंजीकरण (आरपीपी) विधेयक 2019

पुराने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा। इसमें प्रकाशक पर मुकदमा चलाने के पूर्व के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें नव सृजित प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान करने का भी प्रस्ताव किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय ने 25 नवंबर को लोगों से विधेयक के मसौदे पर विचार मांगे थे।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

बैंकों के फ्रॉड में 74 फीसदी का इजाफा आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं. आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बैंकों के फ्रॉड में 74 फीसदी का इजाफा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक 2018–19 में 71,543 करोड़ रुपये की कुल धोखाधड़ी हुई जबकि इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 41,167 करोड़ रुपये था. सबसे अहम बात ये है कि धोखाधड़ी के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे आगे हैं. धोखाधड़ी के कुल मामलों में 55.4 फीसदी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े थे. वहीं राशि के मामले में यह 90.2 फीसदी है. यह सरकारी बैंकों में परिचालन जोखिमों से निपटने में आंत. रिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणाली में खामियों को बताता है. बता दें कि सरकार ने इसी साल फरवरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने, उसकी सूचना देने और जांच को लेकर रूपरेखा जारी किया था. इसके तहत बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक के नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट में धोखाधड़ी की आशंकाओं का आकलन करने की

आवश्यकता है ताकि धोखाधड़ी वाले लेन–देन का खुलासा समय पर हो सके. रिपोर्ट के अनुसार संभवतः इसी कारण 2018–19 में धोखाधड़ी के ज्यादा मामले सामने आएं. वहीं निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों की धोखाधड़ी में कुल धोखाधड़ी में हिस्सेदारी क्रमशरू 30.7 फीसदी ओर 11.2 फीसदी रही। राशि में इन बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 7.7 फीसदी और 1.3 फीसदी रही.

7 साल बाद कम हुआ एनपीए

आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सभी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 2018–19 में घटा है. जबकि इससे पहले लगातार 7 साल इसमें वृद्धि हुई थी. आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर एनपीए के मोर्चे पर अच्छा सुधार दिखता है. जहां 2017–18 में एनपीए अनुपात 11.2 फीसदी था, वह 2018–19 में घटकर 9.1 फीसदी पर आ गया. इस लिहाज से सालाना आधार पर 2.1 फीसदी की कमी आई है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस मोहन का निधन

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक के पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति शनमुघ सुंदरम मोहन का शुक्रवार को निधन हो गया। न्यायमूर्ति मोहन ने अगस्त, 1954 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और उन्हें लक्ष्मीनारसा रेड्डी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 1956 और 1966 के बीच उन्होंने लॉ कॉलेज, मद्रास में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया। उन्हें सहायक सरकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

1966 में और 1967 में उन्होंने सरकारी प्लीडर के रूप में काम किया। उन्हें 1971 में मद्रास के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें फरवरी, 1974 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 1 अगस्त, 1975 को उसी उच्च न्यायालय में स्थायी नियुक्ति हुई। 1988 में, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप

में नियुक्त किया गया और बाद में यहीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, उन्होंने 26 अक्टूबर, 1989 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 5.2.1990 और 8.5. 1990 के बीच कर्नाटक राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।

अक्टूबर, 1991 में, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में ले जाया गया, जहां से वह 10 फरवरी, 1995 को सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस मोहन को उनके लेखन के लिए भी जाना जाता था और उनके प्रकाशनों में जस्टिस ट्रायम्फ्स, जेनेसिस, हिज अनेक स्प्लेंडर्ड जेम आदि शामिल हैं।

8 जनवरी को बैंक और बीमा कर्मचारी हड़ताल पर, ग्राहकों पर पड़ेगा असर!

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। नए साल में बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख यूनियन हड़ताल करने की तैयारी में हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख यूनियनों ने 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित आम हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है. यह जानकारी अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के एक शीर्ष नेता ने दी. बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल की स्थिति में ग्राहकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है.

एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने बताया कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. वेंकटचलम के मुताबिक यह हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ की जाएगी, जिसमें नौकरियों की सुरक्षा, रोजगार सृजन और श्रम कानूनों में संशोधन बंद करने से संबंधित मांगें रखी जाएंगी. वेंकटचलम ने बताया कि इस हड़ताल में शामिल होने वाले बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख यूनियन एआईबीईए, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीईएफ और आईएनबीओसी होंगी. . वेंकटचलम ने दावा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे. इसके अलावा सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सामान्य बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है.

बता दें कि सरकार द्वारा बैंकों के विलय के फैसले का भी अलग–अलग कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं. दरअसल, करीब तीन महीने पहले वित्त्व मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया था. इसके बाद 4 नए बैंक अस्तित्व में आ जाएंगे. वहीं आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अस्तित्व्व नहीं रहेगा. बैंक के यूनियनों का कहना है कि इस विलय से बैंकिंग सेक्टर में लोगों की नौकरी जाएगी.

एनजीटी ने यूपी जल निगम को राहत देने से इनकार किया गंगा को गंदा करने के लिए एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यूपी जल निगम को किसी भी तरह का राहत देने से मना करते हुए उसे गंगा नदी को गंदा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उसको ट्रंक सीवर की सफाई के आधार पर भारी मात्रा में बिना साफ किए गंदे पानी को गंगा में बहाने के लिए यह मुआवजा देने को कहा गया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने बोर्ड की पुनर्विचार याचिका को खघरिज कर दिया। यह आदेश अधिकरण ने 15 नवंबर को दिया था। बोर्ड ने कहा था, इसके बारे में कुछ तथ्यों को वह उस समय अधिकरण के समक्ष नहीं पेश कर पाया

जब यह आदेश दिया गया था। यह कहा गया था कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24(3) के तहत इसकी अनुमति थी। उचित कार्रवाई को देखते हुए आवेदक को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24(2) के तहत संरक्षण मिला हुआ है।

अधिकरण ने कहा, हमारा मानना है कि जहां तक तथ्यों की बात है, तो जल निगम के गैरकानूनी कघ्दम के बारे में जो आवेदक ने जो विवरण दिए हैं उसके हिसाब से इस आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गौर किया जा सके और सुनवाई के दौरान इन बातों पर पहले ही गौर किया जा चुका है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने जो अनुमति दी है वह जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24(3) के तहत नहीं आता और यह इस प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट आही। इसे देखते हुए इस आवेदन को खघरिज किया जाता है।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गासिक सगाचार पत्र
Editorial
04 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जनवरी, 2020

सम्पादकीय

कामयाबी का आकाश

सत्येन्द्र सिंह

अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में वह न सिर्फ अत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि इस कारोबार में दुनिया के विकसित देशों से होड़ ले रहा है। इसी क्रम में चंद्रमा और दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाने के उद्देश्य से निरंतर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। पिछले दिनों चंद्रयान-2 अपनी मंजिल के करीब पहुंच कर नष्ट हो गया था, पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक उससे हताश नहीं हुए। इसरो ने अगले साल चंद्रयान-3 भेजने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा गगनयान भेजने की भी घोषणा कर दी गई है। गगनयान में यात्रा करने वाले चार वैज्ञानिकों को चिह्नित कर लिया गया है, जिनका रूस में प्रशिक्षण शुरू होगा। गगनयान मिशन के लिए भारत ने रूस और फ्रांस से सहयोग के लिए समझौता किया है। यह पहला अंतरिक्षयान होगा, जिसमें भारत अपने दम पर वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। इस तरह भारत रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है, जो अपने दम पर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को भेज कर अध्ययन कर सकता है। मानव सभ्यता के शुरू से ही अंतरिक्ष एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक वैज्ञानिक सौरमंडल के ग्रहों और उनकी स्थितियों के बारे में पता लगा पाए हैं, पर सभी ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी अब भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाई है। चंद्रमा और मंगल जैसे जिन ग्रहों के बारे में जानकारियां उपलब्ध हो पाई हैं, वे भी मुकम्मल नहीं हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन दो ग्रहों पर मनुष्य के बसने लायक स्थितियां बनाई जा सकती हैं। वहां न सिर्फ मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि सौरमंडल से पार अंतरिक्ष के दूसरे लोकों का रहस्य भी सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए इन ग्रहों की स्थितियों के अध्ययन पर जोर है। अगर चंद्रयान-2 चंद्रमा पर सही-सलामत उतरने में कामयाब हो गया होता, तो उसके जरिए बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता था। अब इसरो के वैज्ञानिकों ने उसमें हुई गलतियों को सुधारते हुए चंद्रयान-3 की तैयारी कर ली है, तो इससे एक बार फिर इस मिशन की कामयाबी की उम्मीद स्वाभाविक है। विश्व बिरादरी में किसी देश की ताकत इस बात से भी आंकी जाती है कि उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या हैं। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत बना कर दुनिया के विकसित देशों की कतार खड़ा करने का प्रयास किया है। उसी तरह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो के वैज्ञानिकों ने अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने के लिए उसे रूस आदि देशों से इंजन खरीदना पड़ता था, पर मनमुटाव के चलते उन्होंने अपना इंजन देने से इनकार कर दिया तो इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना इंजन तैयार किया और प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक बना लिया। अब वह दुनिया के तमाम विकसित देशों की अपेक्षा सस्ती दर पर उपग्रह भेजने लगा है। गगनयान भेजने की उसकी तैयारी भी उसके इसी परिश्रम और कौशल का नतीजा है। अंतरिक्ष की वास्तविक स्थितियों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों को भेजना बहुत जरूरी होता है। केवल कैमरे से खींची तस्वीरों से सही नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। मगर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को भेजना जोखिम का काम होता है, इसके लिए गहन प्रशिक्षण और अचूक तकनीक की जरूरत होती है।

मुस्लिम नेता जिन्ना जैसे कट्टर क्यों होते हैं? कलाम जैसे सहृदय क्यों नहीं बनते?

पिछले दिनों एक टीवी वार्ता में भाजपा सांसद तथा तेजतर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कट्टरपंथी मुस्लिम नेता ओवैसी से पूछा कि 1947 में पाकिस्तान से युद्ध में शहीद होने वाले पहले भारतीय मुसलमान सैनिक वीर का नाम बताइए। ओवैसी सकपका गए और थोड़ा सोचकर बोले, अब्दुल हमीद। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा गलत, अब्दुल हमीद 1965 में शहीद हुए थे, 1947 में पहले मुस्लिम सैन्य वीर शहीद हुए थे ब्रिगेडियर उस्मान। ओवैसी की बोलती बंद हो गई। वजह यह है कि इन कट्टरपंथी बड़बोले मुस्लिम नेताओं की आंखों में देशभक्त मुस्लमानों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। जो भी कट्टरपंथी है, भारत विरोधी है और जो भी भारत की अस्मिता के खिलाफ बोलता है वह आज मुखर मुसलमानों का चहेता हीरो बन जाता है। लेकिन जो मुसलमान भारत–भारतीयता की बात करे, इस्लाम का विद्वान हो, वतन परस्ती का झंडा उठाकर चले, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखे, अर्थात् जो इस्लाम को आस्था के रूप में माने लेकिन स्वयं को भारत माता की संतान समझे वह इन मुसलमानों के लिए खलनायक बन जाता है और उसे वह अस्वीकार कर देते हैं।

ऐसा क्यों?

मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान होने की परिभाषा में आते ही नहीं थे। उन्हें मंहगी व्हिस्की का शौक था। कभी कुरान पढ़ी नहीं थी, पढ़ भी नहीं पाते थे। कभी रोजे रखते नहीं थे। नमघज पढ़ते नहीं थे। मौलवियों से चिढ़ते थे। लेकिन मुसलमानों के राजनीतिक मामले भड़का कर और हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा की अगुवाई कर वे मुस्लिम नेता कहलाए।

दूसरी ओर मौलाना अबुल कलाम आजाद (पूरा नाम– मौलाना सैय्यद अबुल कलाम गुलाम मुहीयुदीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद) कुरान के विद्वान थे। बाकायदा रोजे रखते थे। सर्दी, गरमी, तूफान भी हो तो भी नमाज छोड़ते नहीं थे। उनकी इस्लाम पर लिखी किताबें मक्का विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थीं। इस्लाम की विभिन्न धाराओं के शिखर विद्वान थे। 12 साल की उम्र में उनके पास घरेलू पुस्तकालय था। अपने से दुगुनी उम्र के लोगों को वे इस्लाम की शिक्षा देते थे। कुरान और हदीज पर उनका कहा हुआ निर्णायक माना जाता था। लेकिन वे गांधी जी के भक्त थे, बंगाल के विभाजन के विरोधी थे। बंगाल, बिहार और बाम्बे में क्रांतिकारी गति. विधियों में हिस्सा लिया। लेकिन देशभक्त अबुल कलाम आजाद मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। देशद्रोही और देश तोड़ने वाले जिन्ना को इन तथाकथित कट्टरपंथी मुसलमानों ने सिर–आंखों पर चढ़ाया तथा भारत का विभाजन करवा दिया।

आज वही बात नागरिकता कानून के विरोध में उठ रही आवाजों के बारे में कही जा सकती है। जो हिन्दुओं से नफरत करके पाकिस्तान में अत्याचारों की तलवार तले जिंदगी और इज्जत लुटवा रहे हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों को भारत में शरण देने का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं और ला इलाहा लिल्लाह तथा अल्लाह हु अकबर का नारा लगाते हुए हिन्दुओं की संपत्तियाँ जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, वे मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं बल्कि ओवैसी और अमानतुल्ला को पहचानते तथा मानते हैं। ये वही लोग हैं जो इस्लाम के विद्वान तथा परम देशभक्त मुस्लिम नेता आरिफ मोहम्मद खान को अपना नेता नहीं मानते तथा मंच पर निहायत असभ्यता और अभद्रता दिखाते हुए आरिफ भाई पर हमला करते हैं वह भी तथाकथित इतिहासकार इरफान हबीब जैसे लोग, जिनका इस्लाम और हिन्दुस्तानियत– दोनों से कोई रिश्ता नहीं। पांचजन्य में एक बार हमने हज कैसे होता है, इसकी जानकारी देते हुए कुछ लेख छापे थे तथा इन्हें विश्व प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखा था। वे पांचजन्य के कार्यक्रमों में भी आते थे और दीप प्रज्ज्वलन भी करते थे। बस, उर्दू के अखबारों ने उन्हें पंडित वहीदुद्दीन खान लिखना शुरू कर दिया। हिन्दुओं से इतनी नफरत इन असभ्य कट्टरपंथियों के मन में ठूंसी हुई है कि अगर दुनिया भर में अपने इस्लामी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मौलाना साहब हज के बारे में जानकारी दें या दीप प्रज्ज्वलन करें तो उन जैसे विद्वान को भी काफिर करार कर दिया जाता है। जो भारतीय मुसलमान इस प्रकार की सोच रखते हैं वे आज भी हमलावरों की विरासत को संभाले हुए हैं। और हिन्दुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण वही होता है।

यही कारण है कि भारतीय मुसलमानों ने कभी भी दारा शिकोह को नहीं अपनाया बल्कि औरंगजेब के गुण गाए और औरंगजेब रोड़ का नाम बदलने पर कसमसाए, तिलमिलाए तथा चिल्लाए। इन मुसलमानों के लिए रहीम, रसखान, चांद बीबी काफिर हैं तथा इस्लाम की जानकारी से कोसों दूर राजनीतिक लाउडस्पीकर ओवैसी और अमानतुल्ला बहुत गहरे अपने तथा जानदार लीडर हैं।

शायद आपको ध्यान हो कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में मौलाना अबुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जामिया मिलिया के कट्टरपंथी छात्रों ने अबुल कलाम आजाद की सीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों का ज्ञान, विज्ञान और जीवन के उत्कर्ष से कोई संबंध नहीं है वे उन पर भारी पड़ गए जिनका सारा जीवन विज्ञान और दर्शन के मार्ग में बीता। क्या इन लोगों ने कभी डॉ. अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाई? डॉ. अब्दुल कलाम ने दारा शिकोह की तरह श्रीमद्भगवत गीता और उपनिषदों का अध्ययन किया था। देशभक्त थे।

समस्त भारत के हर क्षेत्र और आस्था के नौजवान उनको अपना आदर्श तथा नायक मानते थे और मानते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात है कि ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद, कैप्टन हनीफुद्दीन, डॉ. अब्दुल कलाम या मौलाना अबुल कलाम आजाद जामिया अथवा ओखला बस्ती के आदर्श नहीं बने बल्कि वे ओवैसी और अमानतुल्ला के पीछे चले?

कैसे जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है जायफल

जायफल रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण स्पाइस है। इसे दुनियाभर में विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में मिठास लाता है। जायफल न सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि इससे खाने से काफी अच्छी महक आती है। यूं तो आप भी जायफल का इस्तेमाल अपने भोजन में करते होंगे, लेकिन क्या आप इससे होने वाले फायदों से वाकिफ हैं। तो चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।

दूर करें तनाव : अगर आप हर दिन अत्यधिक तनाव का सामना करते हैं तो आपको जायफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। जायफल में मिरिस्टिसनि और एलिमिसिन पाया जाता है, यह कपांउड दिमाग को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जायफल में मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामाइन को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। जिसके कारण आप तनाव व अवसाद से आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा जायफल पाउडर लेकर उसे आंवला के रस में मिलाकर सेवन करें।

तेज करें दिमाग : जायफल का सेवन आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाता है। दरअसल, जायफल में मिरिस्टिसनि और मैकलिगनन होता है, जो मानव के मस्तिष्क और उसकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करने का काम करता है। इतना ही नहीं, जायफल एकाग्रता और ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता में भी सुधार करता है। इसके लिए आप हर रात सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी में जरा सा जायफल का पाउडर मिक्स करके इसका सेवन करें।

अनिद्रा से बचाव : जिन लोगों को रात में ठीक तरह से नींद न आने की समस्या होती है, उनके लिए जायफल किसी रामबाण से कम नहीं है। यह अनिद्रा के लिए एक नेचुरल रेमिडी है। दरअसल, जायफल में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम मस्तिष्क में तंत्रिका तनाव को कम करने और सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके लिए आप हर रात सोने से पहले एक गिलास दूध में चुटकी भर जायफल पाउडर, बादाम व इलायची डालकर सेवन करें।

जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत : जायफल को एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में भी जाना जाता है। जायफल में प्रचुर मात्रा में मिरिस्टिसनि, एलिमिनिन और यूजेनॉल होते हैं। जो सिर्फ दिमाग को तेज करने और तंत्रिका तनाव को कम करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द को भी कम करते हैं। इसलिए अगर आप जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द के कारण परेशान हैं तो नारियल या जैतून के साथ इसे मिक्स करके प्रभावित स्थान पर लगाएं। वैसे आप चाहें तो इसे अपने भोजन में भी शामिल कर सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर के सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

साहिबाबाद। यदि आप ईएसआइ कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए नए साल पर किसी उपहार से कम नहीं है। अब गाजियाबाद व नोएडा के ईएसआइ कार्ड धारक दिल्ली एनसीआर के बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज व अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच करा सकेंगे। ईएसआइ के दायरे में दिल्ली एनसीआर के 36 सुपरस्पेशलिटी अस्पताल व 38 डॉयग्नोस्टिक सेंटर को शामिल किया गया है।

31 दिसंबर 2019 तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व नोएडा के ईएसआइ कार्ड धारक केवल अपने जिले के ही निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते थे। डायरेक्टरेट (मेडिकल) दिल्ली ने एक जनवरी 2020 से नया नियम लागू किया है। अब नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद के ईएसआइ कार्ड धारक दिल्ली एनसीआर के सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। इसका पूरा खर्च ईएसआइ

❑ गाजियाबाद और नोएडा के लोग दिल्ली एनसीआर के बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे

उठाएगा। इसके लिए डायरेक्टरेट (मेडिकल) दिल्ली की ओर से दिल्ली एनसीआर के सभी ईएसआइ अस्पतालों को सकरुलर जारी कर दिया गया है।

अपनी सुविधानुसार करा सकते हैं इलाज : दिल्ली एसीआर के 36 बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों को ईएसआइ अस्पताल के दायरे में लाया गया है। ईएसआइ कार्ड धारक इन अस्पतालों में अपनी सुविधा के अनुसार इलाज करा सकते हैं। इतना ही नहीं लोगों की बेहतर सुविधा के लिए 38 डायग्नोस्टिक सेंटरों से भी अनुबंध किया गया है, जहां पर लोग तमाम बीमारियों की जांच भी करा सकते हैं। साथ ही कई ब्लड बैंकों से भी इएसआइ का अनुबंध हुआ है। www-esichospitals-gov-in पर जाकर अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटरों की सूची देखी जा सकती है।

20 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

राजेंद्र नगर सेक्टर दो में ईएसआइ अस्पताल हैं। अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक के मुताबिक गाजियाबाद जिले में चार लाख ईएसआइ कार्ड धारक खुद का व परिवार का इलाज कराते हैं। करीब 20 लाख लोग ईएसआइ अस्पताल में इलाज पर निर्भर हैं। ऐसे में गाजियाबाद के इन लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा।

भाजपा कार्यालय पर भिड़े युवा पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं ने किया बीच-बचाव

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

गाजियाबाद। नेहरूनगर स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर शुक्रवार दोपहर एक बैठक से पहले युवा मोर्चा के दो पदाधिकारी भिड़ गए। पहले तो दोनों में विवाद हुआ और इसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। मौके पर जुटे भाजपा नेताओं ने दोनों का बीच-बचाव कराया और दोनों का समझौता कराया। इस दौरान महानगर कार्यालय पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में दोनों पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने की बात कही। इसके बाद मामले को रफा-दफा कर दिया गया। दरअसल क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी त्यागी महानगर कार्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पांच जनवरी को जिले में आगमन की तैयारियों के संबंध में बैठक लेने आए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर मौजूद थे। इस दौरान भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष गौरव चौपड़ा और दूसरे पदाधिकारी अंकुश अरोड़ा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई और आपस में भिड़ गए। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मामले को शांत कराया। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दोनों को बैठाकर समझौता करा दिया और दोनों ने माफी मांग ली। इसके बाद मामला शांत हो गया।

लोनी मेट्रो के लिए आवास विकास परिषद तैयार

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

साहिबाबाद। जौहरी एंक्लेव मेट्रो लाइन के मंडोला तक विस्तार का प्रस्ताव दिए जाने के बाद आवास विकास परिषद ने सकारात्मक रुख दिखाया है। अगर मेट्रो का मंडोला तक विस्तार होता है तो परिषद फंडिग के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि फंडिग का स्वरूप कितना होगा यह अभी तय नहीं किया जा सका है।

केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद वीके सिंह ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और जीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर जौहरी एंक्लेव मेट्रो लाइन को मंडोला तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव पर लोनी के लोगों ने खुशी जताई थी। अब मामले में आवास विकास परिषद का रुख भी सकारात्मक दिख रहा है। परिषद के अधीक्षण अभियंता एससी राय ने बताया कि मेट्रो लाइन आती है

तो इसका सीधा लाभ लोनी की जनता के साथ उनकी मंडोला योजना को भी होगा। उधर, परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव और डीपीआर के बाद ही यह निर्णय हो सकेगा कि परिषद इसके निर्माण लागत का कितना हिस्सा फंडिग करेगा। बता दें कि परिषद की मंडोला योजना में करीब पांच हजार फ्लैट तैयार हैं। लेकिन इन फ्लैटों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, मेट्रो आने पर यहां से दिल्ली की यात्रा बेहद सरल हो जाएगी। इससे परिषद की योजना के हिट होने की उम्मीद है।

गुरु गोविंद सिंह महाराज के 353वें प्रकाश पर्व पर किया अखंड पाठ

गाजियाबाद। बजरिया स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में दसवीं गुरु दशमेश पिता सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज का 353वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह सबसे पहले श्री गुरू ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ संपन्न किया गया। उसके बाद गुरु घर के कीर्तनीय संत सिंह ने कीर्तन का शुभारंभ किया। लगभग एक घंटे कीर्तन करने के बाद कैथल से आए लखविंदर सिंह ने श्रद्धालुओं को गुरू महाराज के जीवन से जुड़े किस्से सुनाकर उनके बारे में बताया। इसके बाद दिल्ली से आए खालसा कॉलेज के प्रोफेसर मनमीत सिंह ने गुरु जस गायन किया। सिंह सभा प्रधान इंद्रजीत सिंह टीटू ने बताया कि गुरू महाराज ने संदेश दिया कि बीसों नाखून की इमानदारी की कमाई को अमीर-गरीब और छोटे-बड़े सभी मिल बांटकर खाओ। गुरु साहब का कड़ा प्रसाद वितरित करने के बाद अटूट लंगर संगत को बांटा गया। सभी धर्म के लोगों ने एक पंगत में लंगर छका। लंगर की सेवा में गुरु घर की सेवक महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर सेवा की। इस मौके पर अर्जुन नगर गुरुद्वारे के प्रधान सरदार हरविंदर सिंह, शिव भनपुरा गुरुद्वारे के प्रधान सरदार रविंद्र सिंह सग्गू, मनजीत सिंह सेठी, महासचिव एसपी सिंह ओबरॉय, चेयरमैन हरमीत सिंह, कुलविंदर सिंह ओबरॉय, जगमोहन कपूर, अमनदीप सिंह, सरदार सुबह सिंह, अमरीक सिंह, इकबाल सिंह सोढ़ी और सरदार मलकीत सिंह आदि मौजूद रहे।

अश्लील विडियो का मामला, नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण की रिपोर्ट में कई सनसनीखेज आरोप

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नोएडा। नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण के कथित वायरल विडियो मामले में शुक्रवार को केस से जुड़े दस्तावेज हापुड़ पुलिस को सौंप दिए गए जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कथित विडियो के नोएडा के साथ ही गाजियाबाद व मेरठ से वायरल होने के संकेत मिले हैं। प्रदेश शासन तक मामला पहुंचने की वजह से खुफिया एजेंसियों से लेकर एटीएस तक सक्रिय हो गई हैं। विडियो बनाने से लेकर उसे फॉरवर्ड करने वालों तक की आईपी डीटेल निकाली जा रही है। वहीं, हापुड़ एसपी संजीव सुमन ने बताया कि केस से जुड़ी जानकारियां उनके पास आ गई हैं। वह सिर्फ नोएडा सेक्टर-20 थाने में दर्ज हुए विडियो संबंधी मामले की विवेचना करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पुलिस विभाग के कई कर्मचारी व गाजियाबाद के कुछ लोग भी जांच की जद में हैं। चर्चा है कि जल्द ही इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस मामले में मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला लखनऊ से मॉनिटर हो रहा है। डीजीपी ने खुद मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही उच्च स्तर से जिस के प्रकार के आदेश आएंगे, उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाएगा।

कई पुलिसवाले रडार पर, हो सकती हैं कुछ गिरफ्तारियां

वैभव कृष्ण प्रकरण की जांच को लेकर पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जांच खुफिया एजेंसी से लेकर एटीएस तक कर रही हैं। पुलिस विभाग के कई कर्मचारी भी टारगेट पर हैं। चर्चा है कि जल्द ही इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कथित वायरल विडियो की जानकारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जल्दबाजी में गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक कर नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी ओपी सिंह ने गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मसले पर एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दे दिया है। डीजीपी के अनुसार इस तरह गुप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक करना ऑल इंडिया सर्विस रूल बुक की धारा-9 का उल्लंघन है। डीजीपी और प्रदेश सरकार का रुख सामने आने के बाद एसएसपी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं।

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

नए साल के पहले दिन बुधवार शाम एसएसपी वैभव कृष्ण के कथित विडियो की चर्चा सामने आया और कुछ ही घंटों के अंदर एसएसपी ने इस बारे में अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी वैभव कृष्ण ने साजिश का आरोप लगाते हुए गुप्त रिपोर्ट की बात की थी, लेकिन देर रात मीडिया में इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया। उनके हवाले से रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद गुरुवार को पुलिस महकमे और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। वहीं, सीएम ने भी इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी।

सीबीआई जांच की मांग से लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब कथित वायरल विडियो से ज्यादा, गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने की वजह से यह मामला तूल पकड़ गया है। लगातार सवाल उठने के बाद गुरुवार को डीजीपी व अपर मुख्य सचिव गृह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में सफाई देनी पड़ी। एसएसपी नोएडा ने अपनी रिपोर्ट में कविनगर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर गिरफ्तार युवती का मोबाइल फोन चंदन राय के पास कैसे पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. अजय पाल शर्मा के कहने पर चंदन राय ने सुनील भारती नाम के व्यक्ति के जरिए युवती के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा लिखाने की भी साजिश रची। मुकदमा दर्ज कराने से पहले चंदन राय ने तहरीर की कॉपी अजय पाल शर्मा को भी भेजी। अजय पाल शर्मा की सहमति के बाद चंदन ने सुनील भारती को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कराने के लिए भेजा।

यह है मामला

मेरठ के पत्रकार पीयूष राय ने आईजी को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण के कथित तौर पर 3 विडियो मेरठ में वायरल हुए। पीयूष के मुताबिक ने उन्होंने इसकी जानकारी आईजी जोन को दी और आईजी ने वैभव कृष्ण को बताया। वैभव ने आईजी का हवाला देकर उन्हें फोन किया और वॉट्सऐप पर तीनों विडियो मांगे।

गुरुवार को नोएडा पुलिस के 2 इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वालों ने मेरठ आकर उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया। एसएसपी मेरठ और आईजी को जानकारी देने पर दोनों अफसरों ने नोएडा पुलिस को फटकारा। एडीजी ने भी नोएडा पुलिस से नाराजगी जताई और कहा कि जब जांच हापुड़ पुलिस कर रही है, फिर नोएडा पुलिस मेरठ क्यों आई।

नीति आयोग के सदस्य ने की 2 जीएसटी स्लैब की मांग, दिए ये सुझाव

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब में बदलाव को लेकर तरह–तरह की मांग हो रही है. इस बीच, केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की ओर से भी जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग की गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुता. बिक नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि जीएसटी के तहत सिर्फ दो स्लैब होने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी स्लैब में बार–बार बदलाव नहीं करने की सलाह दी है. रमेश चंद ने जीएसटी की स्लैब में बार–बार बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीएसटी के स्लैब कम करने की मांग प्रवृत्ति बन गई है, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं. उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि जीएसटी के मुद्दे स्लैब को कम करने से कहीं बड़े हैं.''रमेश चंद ने आगे कहा कि हमें अधिक स्ब्लैब नहीं रखने चाहिए. सिर्फ दो स्लैब होने चाहिए. रमेश चंद ने कहा कि हमें स्लैब में बदलाव के बजाए अपना ध्यान नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने पर लगाना चाहिए.

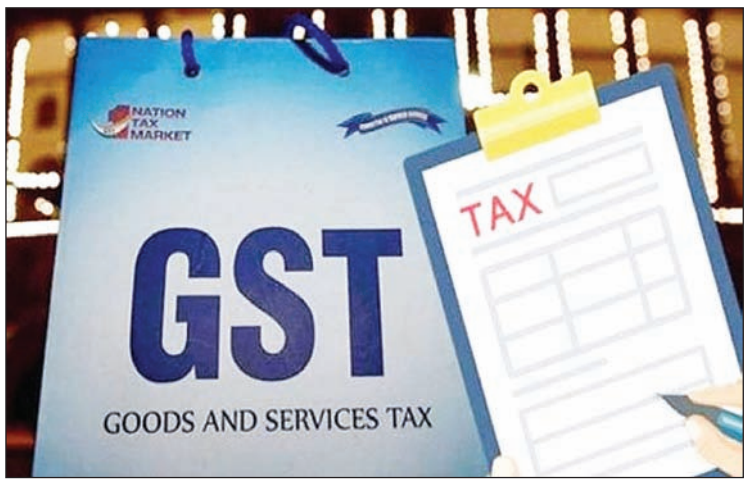

उन्होंने कहा कि अगर स्लैब में बदलाव करने की जरूरत है भी, तो यह वार्षिक आधार पर होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की मांग पर कहा कि ऐसे उत्पादों पर 5 फीसदी की दर बेहद सही है. बता दें कि नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद कृषि अर्थशास्त्री हैं.

जीएसटी के अभी चार स्लैब

अभी जीएसटी के तहत चार स्लैब....5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं.कई उत्पाद ऐसे हैं जिनपर जीएसटी नहीं लगता. वहीं पांचे ऐसे उत्पाद हैं जिनपर जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है. बता दें कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया. सभी अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो गए. उस समय से जीएसटी की दरों में कई बार बदलाव किया जा चुका है. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर तय करती है. इस काउसिंल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं.

संविदा कर्मियों का पीएफ डकारने वाली कंपनियों पर होगा केस

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

कानपुर। पीएफ की राह देख रहे हजारों संविदा कर्मचारियों की उम्मीदें फिर जगी हैं। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पांचों डिस्कॉम में लापरवाही बरतने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वर्ष 2000 के बाद से आउटसोर्सिंग कंपनियां संविदा कर्मचारियों की तैनाती कर रही है। केस्को के अलावा दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में हजारों ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका पीएफ अंशदान कंपनियों की ओर से ईपीएफओ में जमा नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों को जोड़ दें तो यह रकम 100 करोड़ रुपये के आसपास बनती है। अकेले केस्को में वर्ष 2000 से लेकर 2014 तक 500 से अधिक कर्मचारियों का करीब 13 करोड़

रुपये रुपये आउटसोर्सिंग कंपनियां डकार गई हैं। कानपुर में संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री दिनेश सिंह भोले के प्रयासों से ईपीएफओ केस्को के खिलाफ 7ए के के तहत सुनवाई कर रहा है। जल्द ही इसका फैसला भी आने वाला है। इस प्रकरण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पावर कॉरपोरेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर ऐसी कंपनियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है, जिन्होंने कर्मचारियों का पीएफ अंशदान जमा नहीं कराया है।

पीएफ चोरी पर दस गुना जुर्माना लगेगा

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) की रकम खाते में न जमा करने पर कंपनियों पर अब दस दुना जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज बिल में ऐसे प्रावधान किए है जिसमे कर्मचारियों के साथ ऐसा करने वाली कंपनियों पर सख्ती बरती जा सके।

सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की तरफ से कंपनियों के बारे में ऐसी कई शिकायतें आई थी कि कंपनियां कर्मचारियों का पीएफ तो काट लेती है लेकिन उस रकम को जमा नहीं कराती नए कानून में इन्ही दिकत्तो को दूर किया जाएगा इससे तहत कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ के बारे में अपनी जानकारी भी दुरुस्त रखनी होगी। नए प्रावधानो के तहत पीएफ न जमा करने या गलत जानकारी देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने को 10 हजार से बढ़ाकर एक

लाख रुपये तक कर दिया गया है सरकार ने ऐसे लोगो को जेल भेजने का भी प्रावधान किया है कर्मचारियों के पीएफ की गलती जानकारी देने और रकम न जमा कराने की सूरत में तीन साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।

नया कानून : 1. कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 2. गलत जानकारी देने पर साल तक जेल का भी प्रावधान।

100 बच्चों की मौत एनएचआरसी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिसंबर, 2019 के महीने में राजस्थान के कोटा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान ले लिया है। इनमें से दस बच्चों की मौत 23 से 24 दिसंबर, 2019 के बीच 48 घंटे के भीतर हुई है। कथित तौर पर अस्पताल में स्थापित 50 फीसदी से अधिक उपकरण खराब हैं और अस्पताल में गहन देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है जिसमें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है। आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर

चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसमें इस मामले को सुलझाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी शामिल है ताकि ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते बच्चों की ऐसी मौतों की पुनरावृत्ति न हो। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की दर्दनाक मौतें आयोग के लिए चिंता का विषय है। राज्य अपने नागरिकों को बुनियादी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि पहले की तुलना में मौतों की संख्या कम है। राज्य के अधिकारियों द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में जे के लोन सरकारी अस्पताल में 963 बच्चों की मृत्यु हुई है जबकि यह आंकड़ा पिछले वर्षों में 1000 से ऊपर था।

जीएसटी से जुड़ी ये गलती पड़ेगी भारी, बैंक अकाउंट भी हो सकता है फ्रीज

–उद्योग विहार (जनवरी 2020)–

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़ी गलती की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इसके साथ ही आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है. दरअसल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी अधिकारियों को इस संबंध में अधिकार दिया है.

इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी या यूनिट बार–बार नोटिस भेजने के बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में विफल रहती है तो जीएसटी अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं. इसके अलावा जीएसटी अधिकारियों के पास कंपनी या यूनिट का बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार भी होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी फॉर्म जीएसटीआर–3ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से तीन दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू करेंगे. बता दें कि जीएसटीआर–3ए दाखिल करने की अंतिम तारीख

हर महीने की 20 तारीख होती है. डेडलाइन खत्म होने के कुछ दिनों बाद एक मैसेज भेजा जाएगा. ये मैसेज ऑटो जेनरेटेड होगी. अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा. इसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. अगर इसके बाद भी आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो अधिकारी रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर टैक्स की डिमांड करेंगे.

इसके बाद अगर डिमांड पर भी 30 दिन के भीतर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो टैक्स अधिकारी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इसके अलावा टैक्स अधिकारियों के पास बैंक अकाउंट को फ्रीज भी करने का अधिकार होगा.

क्या है सख्ती की वजह?

दरअसल, जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार लक्ष्य से पीछे चल रही है. ऐसे में लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. बीते दिनों सरकार की ओर से अधिकारियों को टैक्स चोरी करने वालों से निपटने के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं.

सीएए पर संग्राम जारी, अमित शाह का ऐलान- एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे

- शाह ने जोधपुर में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित
- शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- जानें कानून का मतलब

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देशभर में विरोध चल रहें है. एक तरफ सरकार की तरफ से इस कानून को लेकर लगातार सफाई दी जा रही है तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भले ही सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं लेकिन भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी और इसे रद्द नहीं करेगी.

जनसभा को किया संबोधित

राजस्थान के जोधपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पार्टी कड़ी मेहनत करेगी और युवाओं व अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाकर उन्हें समझाएगी कि सीएए को नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है. जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाई गई रैली में शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी चुनौती दी कि अगर उन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया है, तो उन्हें इसका पता लगाना चाहिए कि इस कानून का क्या मतलब है.

राहुल गांधी को मिली चुनौती

अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा, अगर आपने सीएए कानून पढ़ा है, तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाएं और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इटालियन भाषा में इसका अनुवाद करके भेज देता हूं, उसको पढ़ लीजिए. अमित शाह ने कहा, सीएए को तीन राष्ट्रों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए पेश किया गया है. उन्होंने देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए सीएए पर गलत अभियान शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने लोगों तक पहुंचने और उन्हें इसके बारे में जागरूक करने का फैसला किया है. इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 'दिल्ली दरबार' में सिर झुकाने से मना करते हुए इसके बजाए राज्य के मामलों को देखने की नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि गहलोत को सीएए पर प्रदर्शन के बजाए कोटा में मासूमों की मौत का मामला देखना चाहिए.

कांग्रेस सरकार का घोषणापत्र

शाह ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणापत्र में पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता देने की घोषणा की थी, हालांकि वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वे अपने वोट बैंक के बारे में सोच रहे थे और उसी के लिए राजनीति करने में व्यस्त रहे. गृह मंत्री ने पूछा कि देश को धार्मिक आधार पर क्यों विभाजित किया गया और किसने राष्ट्र का विभाजन किया? उन्होंने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर बांटने वाली कांग्रेस ही थी. उन्होंने कहा कि ममता दीदी कह रही हैं कि आपको लाइने लगानी पड़ेंगी, आपसे अलग–अलग प्रूफ मांगे जाएंगे. मैं शरणार्थी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप प्रताड़ित होकर आए हो, यहां कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी और आपको सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी. उन्होंने लोगों से सीएए पर मोदी को अपना समर्थन साझा करने और ममता, मायावती और केजरीवाल समूह को करारा जवाब देने के लिए 88662–88662 पर मिस्ड कॉल देने का भी आह्वान किया.

प्रथम पृष्ठ का शेष

क्या पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 2000 रुपये आपके खाते में नहीं....

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

हालांकि अगर किसी किसान को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं मिला है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इसकी शिकायत कर सकते हैं. आपको बात दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ये किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना है और सरकार की कोशिश है कि हर असली किसान को इसका लाभ मिले ताकि खेती–किसानी में संकट का दौर खत्म हो जाए।

2000 रुपये पाने के लिए यहां करें शिकायत, तुरंत होगा समाधान

सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा और उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी. अगर आपकी बातें ये लोग नहीं सुनते हैं तो आप इससे जुड़ी हेल्पलाइन पर भी फोन कर सकते हैं. आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक पीएम–किसान हेल्प डेस्क (PM&KISAN Help Desk) के ई–मेल (Email) pmkisan-ict@gov-in पर संपर्क कर सकते हैं. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011–23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अगर किसी असली किसान भाई के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इसका समाधान करवाया जाएगा. चौधरी का कहना है कि अगर किसान के खाते में पैसा पहुंचा नहीं है या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे हर हाल में ठीक करवाउंगा. उन्होंने कहा हमारी कोशिश है कि इसका हर किसान को लाभ मिले, इसीलिए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही वादे के मुताबिक इस योजना का विस्तार कर दिया है।

कोटा में अबतक 107 बच्चों की मौत, बूंदी में भी 10 ने तोड़ा दम, अस्पताल पहुंची केंद्रीय टीम

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा के जेके लोन सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 107 मासूम दम तोड़ चुके हैं। कोटा के बाद बूंदी में भी यह संक्रमण फैल गया है। जहां 10 मासूम जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसी बीच कोटा मामले में गठित जांच समिति ने दो दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति का कहना है कि अस्पताल में लगभग हर तरह के उपकरण और व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। बच्चो की मौत का मुख्य कारण हाइपोथर्मिया बताया गया है।

हालांकि सच्चाई यह है कि इससे बच्चों को बचाने के लिए आवश्यक अस्पताल का हर उपकरण खराब है। कोटा के अस्पताल में बीचे 34 दिन में 107 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। केंद्रीय अधिकारियों का दल कोटा के जेकेलोन अस्पताल में जांच के लिए पहुंचा है। इसमें जोधपुर एम्स के बाल चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. कुलदीप सिंह, मंत्रालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. दीपक सक्सेना, एम्स जोधपुर के निओनेटोलॉजिस्ट डॉ. अरुण सिंह और एनएचएसआरसी सलाहकार डॉ. हिमांशु भूषण शामिल हैं।

विशेषज्ञों का दल राज्य सरकार के साथ मिलकर कोटा मेडिकल कॉलेज में मातृ, नवजात शिशु और बाल चिकित्सा देखभाल सेवाओं की समीक्षा करेगा। साथ ही कमियों के विश्लेषण के आधार पर संयुक्त कार्य योजना भी बनाएगा। ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के जरिए कोटा मेडिकल कॉलेज को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद की पेशकश की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं जेके लोन अस्पताल में काल के गाल में समाने वाले कुछ शिशुओं के परिवार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम इन परिवारों के साथ खड़े हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को दो बार लिख चुका हूं। जिसमें चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव हैं।

फिर मुश्किल में फंसीं सपना चौधरी, इस मामले में पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। हरियाणवी डांसर, सिंगर और एक्ट्रेस सपना चौधरी की मुश्किले हैं कि कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। हाल ही में 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर गुरुग्राम में हुए कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपना पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में सपना चौधरी का वाहन भी शामिल था। सपना की ओर से पहले नोटिस का जवाब नहीं देने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल, कार एक्सीडेंट मामले में जब सपना की कार का दुर्घटना स्थल होने की पुष्टी हुई तब पुलिस ने सपना को नाटिस भेजा। इसके बाद जब सपना की तरफ से उस नोटिस का जवाब नहीं आया तब उनपर नोटिस का जवाब नहीं देने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

सपना ने अपने एक बयान में कहा था कि एक्सीडेंट के वक्त वह गाड़ी में नहीं थीं और वह इस मामले में किसी तरह की एफआईआर नहीं चाह रही हैं।

लेकिन फिर कैंटर चालक की शिकायत के बाद सपना के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बात दें कि ये एक्सीडेंट गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर के नीचे एक मिनी ट्रक को गलत तरीके से ओवरटेक किया था जिसके बाद ट्रक ने चौधरी के वाहन को पीछे से टक्कर मारी थी। सपना की कार का बुरा हाल हो चुका है।

हालांकि सपना को इस दौरान कोई चोट लगने की खबर नहीं है। डांसर के वर्कफ्रंट की बात करें तो सपना चौधरी आजकल बर्थडे पार्टियों और शादियों में खूब परफॉर्म कर रही हैं। हाल ही में वह बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर पहुंची थीं और जमकर डांस किया था। इस दौरान भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि लोग पेड़ पर चढ़ गए थे उनका डांस देखने के लिए। उनका डांस देखने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर डांस देख रहे थे। इस दौरान का वीडियो खूब वायरल हुआ था।

जेएनयू कैंपस में हिंसा/पुलिस-अनजान लोगों ने मचाया बवाल सिक्योरिटी- बाहर से नहीं आए लोग

- वसंत कुंज थाने के इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत केस दर्ज
- टीचर्स एसोसिएशन की राष्ट्रपति से वीसी को हटाने की मांग

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को मुकदमा दर्ज किया। वसंत कुंज नार्थ थाने के इंस्पेक्टर आनंद यादव द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जेएनयू के छात्र हॉस्टल फी हाइक व अन्य मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाईकोर्ट के आद. ेश पर जेएनयू कैंपस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सौ मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के छात्रों द्वारा प्रदर्शन व एकत्रित होने पर प्रतिबंध का आदेश हुआ था। रविवार को वह (इंस्पेक्टर) और स्टाफ एडमिनस्ट्रेटिव ब्लॉक में इंतजाम में मौजूद थे।

पौने चार बजे खबर मिली कुछ स्टूडेंट पेरियार हॉस्टल में एकत्रित होकर मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही वह स्टाफ संग हॉस्टल में पहुंचे, जहां पर 40 से 50 अनजान लोग जिनमें से कुछ ने अपने मुंह पर मफलर व कपड़े बांध रखे थे। जिनके हाथों में डंडे थे, वे पेरियार हॉस्टल के कॉम्पलेक्स में वहां स्टूडेंट्स के साथ मारपीट और हॉस्टल में तोड़फोड़ कर रहे थे। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही हुड़दंगी वहां से भाग गए। इसी दौरान जेएनयू प्रशासन की ओर से एक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एक लेटर दिया गया, जिसके बाद वहां अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। वहां स्थिति को नियंत्रण में किए जाने की कोशिश हो रही थी। वहां मौजूद छात्रों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही थी। इसी बीच जेएनयू कैंपस के अंदर ही झगड़े की सूचनाएं मिलने का सिलसिला शुरू हो गया।

इंस्पेक्टर ने कहा है अनियंत्रित, उग्र हिंसक और उपद्रवी भीड़ ने जान बूझकर दंगा फसाद किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इंस्पेक्टर के बयान पर आईपीसी की धारा 145, 147,149, 151 और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह रंधावा ने इस हिंसक घटना के बाद कहा जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा। पुलिस के पास कई अहम सुराग हैं लेकिन, उनका खुलासा नहीं किया जा सकता। पुलिस पर तमाशबीन के लगे आरोप पर उन्होंने कहा जब पीसीआर कॉल मिली, तुरंत रिस्पोंड किया गया। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम को तीन हिस्सों में बांटा गया है। टीम कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल कर रही है।

जेएनयू कैंपस के अंदर हुई गुंडागर्दी के बाद छात्र दहशत में है। खासकर कि छात्राएं। यही कारण है कि अब वे डर की वजह से अपना हॉस्टल ही खाली करने लगी हैं। सोमवार को ऐसी ही कई छात्राओं ने अपनी बात रखीं। उन्होंने कहा कि यहां का माहौल पढ़ाई के लिहाज से अभी ठीक नहीं है। केवल वही नहीं बल्कि उनके परिजन भी इस घटना के बाद से बेहद घबराए हुए हैं, जिनकी ओर से उन्हें तत्काल घर आने के लिए कहा गया है।

नर्मदा हॉस्टल में रहने वाली हर्षा ने कहा वह मूलरूप से देवधर झारखंड की रहने वाली हैं। यहां करीब डेढ़ साल से रह रही हैं और मास्टरर्स ऑफ लिंग्विस्टिक की इस छात्रा ने कहा जब रविवार को यह बवाल हुआ तो वह एकदम से घबरा गई। उसने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया, जिन्होंने अगले ही दिन कैंपस हॉस्टल छोड़ देने की हिदायत दी। फिलहाल, आज वह दिल्ली में रहने वाले एक रिलेटिव के घर पर ठहरेगी, उसके बाद अपने घर जाएगी। ग्वालियर की रहने वाली एशिता एनवायरमेंट साइंस में मास्टर की पढ़ाई कर रही है। वह छह माह से यहां हॉस्टल में रह रही है। उसके परिजनों ने भी घर आने के लिए कहा है, जिस कारण उसने हॉस्टल खाली कर दिया। ऐसी ही एक अन्य छात्रा उन्नति ने किया। जेएनयू परिसर में हिंसा के बाद सोमवार को जेएनयूएसयू और एबीवीपी दोनों ने विरोध मार्च निकाला। दोनों ही मार्च में छात्रों की भीड़ दिखाई दी।

मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने सीएए के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनसीआर) देश में लाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 250 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जिसमें उच्च न्यायालय परिसर से मानव श्रृंखला बनाना और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना शामिल था। वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम, वैगाई, कन्नदासन, रामलिंगम आदि भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। वकीलों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में 'भारतीय संविधान की रक्षा', 'आई एम एन इंडियन सिटिजन', 'ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' इत्यादि नारों की तख्तियां थीं। प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि सीएए धर्म के आधार पर लोगों को अलग और अपमानित करता है और उस कानून को किसी भी व्यक्ति को हीन नहीं मानना चाहिए। विरोध की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट के अधिवक्ता एलिजाबेथ शेषाद्री ने कहा, ष्असम एनआरसी प्रक्रिया ने हमें दिखाया है कि कैसे गरीब लोग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए और उन्हें मौद्रिक नुकसान हुआ। संविधान गरीब आदमी की बीमा पॉलिसी है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इस देश में गरीबों के लिए वकील आवाज उठाते रहे हैं।

होटल इंडस्ट्रीज जिम कंपनीज आदि में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का 30: फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए: डॉ. एमपी सिंह

- कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का 30 प्रतिशत फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

चंडीगढ़। 27 दिसंबर 2019 को हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में सेंट जॉन एंबुलेंस इंडिया हरियाणा स्टेट सेंटर के द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें फैसला लिया गया कि होटल इंडस्ट्रीज जिम कंपनीज आदि में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का 30 प्रतिशत फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए जिसके तहत आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास कुमार जिला प्रशिक्षण अधिकारी ईशान कौशिक मास्टर ट्रेनर व प्राथमिक सहायता के अधिकृत लेक्चरर डॉ.एमपी सिंह ने सूरजकुंड रोड स्थित फाइव स्टार विवांता होटल में डिप्टी मैनेजर कुणाल शर्मा से वार्तालाप किया और उक्त विषय से संबंधित सभी जानकारी दी जिसमें बताया कि एचआर मैनेजर कीर्ति कुमावत तथा ट्रेनिंग मैनेजर सीमा महाजन से वार्तालाप करके अति शीघ्र इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाएगा उक्त कार्य के लिए सेंट जॉन एंबुलेंस के जिला प्रशिक्षण अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कोर्ट की सख्ती

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

लखनऊ। बगैर अनुमति के संचालित उद्योगों पर विशेष न्यायालय प्रदूषण निवारण ने सख्ती दिखाते हुए कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिन्हें सजा दी गई है उनमें कानपुर के टेनरी संचालक, आगरा व लखीमपुर के भट्टा व्यवसायी शामिल हैं।

मेरठ के भी एक व्यवसायी को सजा सुनाई गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बगैर अनुमति चल रहे उद्योगों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया था। इन मामलों में बोर्ड ने आरोपितों को सजा दिलाई है।

सजा पाने वालों में जाजमऊ स्थित टेनरी संचालक मेसर्स ख्वाजा फिनिशर्स शामिल हैं। यह बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के टेनरी का संचालन कर रहे थे। इस मामले में विशेष न्यायालय ने टेनरी पर एक लाख रुपये का जुर्माना व इसके संच. ालक मो. इब्राहिम को दो वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अलग से लगाया है।

दूसरे मामले में मेरठ में अवैध रूप से हड्डियां उबालकर वसा निकालने वाले व्यवसायी हाजी इरशाद को दोषी मानते दो वर्ष की जेल व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका उत्प्रवाह ओडियन नाले के जरिये काली नदी में पहुंच रहा था।

वॉशिंगटन: स्कूल अध्यापिका ने क्लास में बनाए छात्र से संबंध

—उद्योग विहार (जनवरी 2020)—

नयी दिल्ली। 10वीं में पढ़ाने वाली 28 साल की एक शादीशुदा महिला अध्यापिका ने अपने स्टूडेंट से क्लासरूप में ही शारीरिक संबंध बनाए थे। संबंध बनाने के बाद महिला टीचर ओलिविया सोन्धेम छात्र को लेकर अपने घर और पार्क भी गई थी। यह मामला अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के एवरेट का है। कोर्ट ने इसी सप्ताह महिला टीचर ओलिविया को एक साल की सजा सुनाई है। महिला टीचर को शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में 2016 में अरेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला टीचर ने छात्र से उस समय शारीरिक संबंध बनाए थे जब उसकी उम्र 16 साल की थी। संबंध बनाने के बाद ओलिविया ने छात्र से यह कहते हुए रिश्ता खत्म कर लिया था कि वह अब अपनी शादीशुदा जीवन पर ध्यान देना चाहती है। हालांकि, बाद में महिला टीचर ओलि. विया का अपने हसबैंड तलाक हो गया। अन्य छात्रों के साथ ओलिविया के रिश्ते को लेकर भी जांच की गई थी, लेकिन अन्य मामलों में आरोप तय नहीं किए गए। कोर्ट ने ओलिविया को पीड़ित छात्र से संपर्क करने पर और सजा के बाद बच्चों से जुड़ी किसी जगह पर काम करने पर भी रोक लगा दी। वॉशिंगटन में सहमति से सेक्स की उम्र सीमा 16 साल है। लेकिन टीचर या फिर पोजिशन ऑफ ट्रस्ट वाले व्यक्ति के लिए सख्त नियम हैं। ओलिविया ने कोर्ट में माना था कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया। महिला ने कहा था कि जो क्षति उसने पहुंचाई है उसके लिए कोई भी शब्द क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। मामले का खुलासा होने के बाद महिला ने टीचिंग छोड़कर कई अन्य पेशे में काम किया था।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह